रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2010/पौष 17, 1931

No. 11] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2010/PAUSA 17, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 14(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 356ङ, धारा 356ण के खंड (ङङ) तथा धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (संवेष्टित रूप में समुद्री मार्ग से वहन किए गए अपहानिकर पदार्थों द्वारा प्रदूषण निवारण) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 अभिप्रेत है;

(ख) ''प्रमाणन प्राधिकारी'' से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ग) ''सरकारी पोत'' से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पोत अभिप्रेत है;

(घ) ''अपहानिकर पदार्थों'' का वही अर्थ होगा जो उनका धारा 356ङ के स्पष्टीकरण में है और इसके अन्तर्गत वे पदार्थ भी सम्मिलित हैं जिनकी अनुसूची में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर आई एम डी जी कोड में समुद्री प्रदूषक तत्वों के रूप में पहचान की गई है;

(ङ) ''आई एम डी जी कोड'' से अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन द्वारा अंगीकृत अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल अभिप्रेत है;

(च) ''संगठन'' से अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अभिप्रेत है;

(छ) ''पैकेज रूप'' से आई एम डी जी कोड में अपहानिकर पदार्थों के लिए विनिर्दिष्ट संरोधक का रूप अभिप्रेत है;

(ज) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. **अपहानिकर पदार्थों का वहन.**—(1) पोत द्वारा अपहानिकर पदार्थों का वहन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय प्रतिषिद्ध किया जाता है ।

(2) पैकेज रूप में अपहानिकर पदार्थों का वहन करने वाला प्रत्येक पोत आई एम डी जी कोड की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

(3) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए खाली पैकेजिंग, जिसका अपहानिकर पदार्थों के वहन के लिए पहले ही पूर्वतर प्रयोग किया गया है तब तक अपहानिकर पदार्थों के रूप में समझा जाएगा जब तक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रर्याप्त पूर्वसावधानियां न बरती गई हों कि उनमें ऐसा कोई अवशिष्ट नहीं है, जो समुद्री पर्यावरण के लिए अपहानिकर हो ।

(4) इन नियमों के उपबंध पोत भण्डारों तथा उपस्कर को लागू नहीं होंगे ।

4. **पैकिंग.**—पैकेज उनकी विनिष्ट अन्तर्वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, समुद्री पर्यावरण के लिए परिसंकट को न्यूनीकृत करने के लिए पर्याप्त होगा, और आई एम डी जी कोड की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

5. चिह्नांकन और लेबल लगाना.—(1) अपहानिकर पदार्थों को अन्तर्विष्ट करने वाले पैकेजों पर स्थायी रूप से चिह्नांकन किया जाएगा और उसके व्यापार नाम, आई एम डी जी कोड संख्या सहित सही तकनीकी नाम का लेबल लगाया जाएगा और यह उपदर्शित किया जाएगा कि यह समुद्री प्रदूषण तत्व है ।

(2) स्थायी चिह्नांकन तथा लेबन लगाने के प्रयोजन के लिए उपयोग की गई सामग्री और पैकेज की सतह के टिकाऊपन पर विचार किया जाएगा ।

(3) अपहानिकर पदार्थों को अन्तर्विष्ट करने वाले पैकेजों पर सही तकनीकी नाम चिह्नांकित करने तथा उन पर लेबल लगाने की पद्धति ऐसी होगी, कि पैकेजों पर लिखी गई सूचना समुद्र में विसर्जन के कम से कम तीन मास के पश्चात् भी पहचानने योग्य बनी रहे ।

(4) अपहानिकर पदार्थों की थोड़ी मात्रा अन्तर्विष्ट करने वाले ऐसे पैकेज, जो आई एम डी जी कोड के अधीन छूट प्राप्त हैं, उप नियम (1) से उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन चिह्नांकन और लेबल लगाने से भी छूट प्राप्त होंगे ।

6. प्रलेखीकरण.—(1) समुद्री मार्ग से अपहानिकर पदार्थों के वहन से संबंधित सभी दस्तावेजों में, प्रत्येक ऐसे पदार्थ के, उसके व्यापार नाम सहित, सही तकनीकी नाम का प्रयोग किया जाएगा और "समुद्री प्रदूषण तत्व" शब्दों का उल्लेख करके पहचान की जाएगी ।

(2) पोतवणिक द्वारा प्रदाय किए गए पोत परिवहन दस्तावेजों में हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र सम्मिलित होगा या घोषणा संलग्न होगी कि वहन के लिए प्रदान की गई लदाई उचित रूप से पैक की गई है और समुद्री पर्यावरण के परिसंकट को न्यूनीकृत करने के लिए उचित दशा में चिह्नांकित की गई हैं, उस पर समुचित रूप से लेबल लगाया गया है या प्लाकार्ड लगाया गया है ।

(3) अपहानिकर पदार्थों को ले जाने वाले प्रत्येक पोत में फलक पर और उसकी अवस्थिति पर अपहानिकर पदार्थों को उपवर्णित करने वाली विशेष सूची या माल सूची होगी या विशेष सूची या माल सूची के स्थान पर फलक पर अपहानिकर पदार्थों की अवस्थिति को उपवर्णित करने वाला एक विस्तृत नौभरण रेखांक होगा, और

(क) ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां पोत के स्वामी या उसके प्रतिनिधि द्वारा तट पर तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक ऐसे अपहानिकर पदार्थों को न उतार लिया गया हो; और

(ख) प्रस्थान से पूर्व, ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन को उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(4) जब पोत वाणिज्य पोत (स्थौरा वहन) नियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार खतरनाक माल के वहन के लिए अपेक्षित विशेष सूची या माल सूची या विस्तृत नौभरण रेखांक का वहन करता है तो इन नियमों के अधीन खतरनाक माल के वहन के लिए अपेक्षित दस्तावेज इन नियमों के अधीन अपहानिकर पदार्थों के वहन के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ संयोजित किए जा सकेंगे :

परन्तु जहां दस्तावेज इस प्रकार संयोजित किए गए हैं, वहां खतरनाक माल और खतरनाक पदार्थों के बीच एक स्पष्ट अन्तर किया जाएगा ।

7. नौभरण व्यवस्था.—अपहानिकर पदार्थों का उचित रूप से नौभरण किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित रूप से कस दिया जाएगा जिससे पोत और फलक पर व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा पहुचांए बिना समुद्री पर्यावरण के परिसंकट को न्यूनीकृत किया जा सके ।

8. मात्रा के बारे में परिसीमाएं.—जहां, ठोस वैज्ञानिक और तकनीकी कारणों से, किसी पोत के फलक पर अपहानिकर पदार्थों का वहन या तो प्रतिषिद्ध किया गया है या मात्रा में सीमित किया गया है, वहां पोत के आकार, उसके सन्निर्माण तथा उपस्कर मात्रा को परिसीमित करने में पदार्थों को पैक करने पर तथा उनकी अन्तर्निहित प्रकृति पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा ।

9. सुरक्षा उपाय.—(1) पैक किए गए रूप में वहन किए गए अपहानिकर पदार्थों के माल प्रक्षेपण को, सिवाय वहां के प्रतिषिद्ध किया जाता है, जहां वे पोत की सुरक्षा या समुद्र में प्राण रक्षा करने को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं;

(2) इन नियमों के उपबंधों के अधीन, अपहानिकर पदार्थों की भौतिक रासायनिक और जैवीय विशेषताओं के आधार पर समुचित उपाय फलक के ऊपर से हुए रिसाव को धोने के लिए किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि इस प्रकार किए गए ऐसे उपाय न तो पोत की सुरक्षा न ही फलक पर व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा पहुचाएंगे ।

10. संक्रियात्मक अपेक्षाओं पर पत्तन सरकारी नियंत्रण.—(1) धारा 356ध के अधीन भारतीय पत्तन में विदेशी पोत को निरीक्षण के दौरान, सर्वेक्षक या यथास्थिति, तद्धीन प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का स्पष्ट आधार है कि उस पोत का मास्टर या कर्मीदल अपहानिकर पदार्थों द्वारा प्रदूषण निवारण से संबंधित संक्रियात्मक अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं से परिचित नहीं है तो महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति

की सिफारिश पर ऐसे उपाय करेगा, जिनका धारा 356ज के अधीन उपबंध किया गया है ।

(2) इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह अभिसमय से विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित संक्रियात्मक अपेक्षाओं पर नियंत्रण करने वाली केन्द्रीय सरकार के अधिकारों और बाध्यताओं को सीमित करती है ।

11. **शास्ति.**—जो कोई इन नियमों का अतिलंघन करता है, वह धारा 458 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

अनुसुची

[नियम 2 का खंड (ध) देखें]

संवेष्टित रूप में अपहानिकर पदार्थों की पहचान के लिए मापदंड

निम्नलिखित मापदंड में से किसी एक मापदंड द्वारा अभिज्ञात पदार्थ अपहानिकर पदार्थ है :—

— एक महत्वपूर्ण सीमा तक जैव संचयित और जलचर प्राणी या मानवीय स्वास्थ्य के लिए परिसंकट उत्पन्न करने के लिए ज्ञात (संगठन द्वारा तैयार किए जाए परिसंकट प्रोफाइल की संयुक्त सूची के स्तंभ 'क' में परिसकंट रेटिंग "+")

— जलचर जीवाश्मों या एक सप्ताह या उससे कम के क्रम में अल्प प्रतिधारण सहित मानवीय स्वास्थ्य के लिए परिचर जोखिम सहित जैव संचयित (संगठन द्वारा तैयार की गई परिसंकट प्रोफाइल की संयुक्त सूची के स्तंभ 'क' में परिसंकट रेटिंग "य")

— जलचर जीवन के लिए अत्यधिक विषाक्त जिसे प्रति मिलियन 1 अंश से कम एलसी$_{50}$/96 घन्टा द्वारा परिभाषित किया गया है, जिससे पदार्थ की सांद्रता अभिप्रेत है जो 96 घन्टों के विनिर्दिष्ट समय के भीतर परीक्षण जीवाश्मों को 50% उदभासित समूह को मार देती हैं (संगठन द्वारा तैयार किए गए परिसंकट प्रोफाइल की संयुक्त सूची के स्तंभ 'ख' में परिसंकट रेटिंग "4") ।

[सं. एस आर-11012/3/08-एम जी]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2010

G.S.R. 14(E).—In exercise of the powers conferred by Section 356E, clause (ee) of Section 356-O and Section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby maks the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. —In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958.

(b) "certifying authority" means the Central Government;

(c) "Government ship" means the ship owned by the Central Government or the State Government;

(d) "harmful substances" shall have the meaning assigned to it in the Explanation to Section 356E and includes substances which are identified as marine pollutants in the IMDG Code on the basis of the criteria specified in the Schedule;

(e) "IMDG Code" means the International Maritime Dangerous Goods Code adopted by the International Maritime Organisation;

(f) "Organisation" means the International Maritime Organisation;

(g) "packaged form" means the form of containment specified for harmful substances in the IMDG Code;

(h) "section" means section of the Act.

3. Carriage of harmful substances.—(1) The carriage of harmful substances by ship is prohibited except in accordance with the provisions of these rules.

(2) Every ship carrying harmful substances in packaged form shall comply with the requirements of the IMDG Code.

(3) For the purposes of these rules, empty packaging which have already been used previously for the carriage of harmful substances shall themselves be treated as harmful substances unless adequate precautions have been taken to ensure that they contain no residue that is harmful to the marine environment.

(4) The provisions of these rules shall not apply to ship's stores and equipment.

4. Packing.—Packages shall, having regard to their specific contents, be adequate to minimize the hazard to the marine environment, and shall comply with the requirements of IMDG Code.

5. Marking and labeling.—(1) Packages containing harmful substances shall be durably marked and labelled with correct technical name including its trade name, IMDG Code number and indicated that it is a marine pollutant.

(2) For the purpose of durable marking and labelling, the durability of the materials used and of the surface of the package shall be taken into account.

(3) The method of marking correct technical name and of affixing labels on packages containing harmful substances shall be such that information written on packages shall remain identifiable even after at least three months of immersion in the sea.

(4) Packages containing small quantities of harmful substances which are exempted under the IMDG Code shall

also be exempted from marking and labelling under the provisions of sub-rules (I) to (3).

6. Documentation.—(1) In all documents relating to the carriage of harmful substances by sea, the correct technical name of each such substance including its trade name shall be used and shall be identified by adding the words "MARINE POLLUTANT".

(2) The shipping documents supplied by the shipper shall include or be accompanied by a signed certificate or declaration that the shipment offered for carriage is properly packaged and marked, appropriately labelled or placarded in proper condition for carriage to minimize the hazard to the marine enviroinment.

(3) Each ship carrying harmful substances shall have a special list or manifest setting forth the harmful substances on board and the location thereof or a detailed stowage plan setting out the location of the harmful substances on board in the place of such special list or manifest and :—

(a) copies of such documents shall be retained on shore by the owner of the ship or his representative until such harmful substances are unloaded; and

(b) before departure, copies of such documents shall be made available to the person or organisation authorized by the Central Government.

(4) When the ship carries a special list or manifest or a detailed stowage plan required for the carriage of dangerous goods in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Carriage of Cargo) Rules 1995, the documents required for carriage of dangerous goods under those rules may be combined with the documents required for carriage of harmful substances under these rules :

Provided that where documents are so combined, a clear distinction shall be made between dangerous goods and harmful substances.

7. Stowage.—Harmful substances shall be properly stowed and secured so as to minimize the hazards to the marine environment without impairing the safety of the ship and persons on board.

8. Limitations as to quantity.—Where, for sound scientific and technical reasons, carriage of harmful substances on board of a ship are either prohibited or limited in quantity, due consideration shall be given to the size, the construction and equipment of the ship, packaging and inherent nature of the substances, in limiting the quantity.

9. Safety measures.—(1) Jettisoning of the harmful substances carried in packaged form is prohibited except where necessary for the purpose of securing the safety of the ship or to save life at sea.

(2) Subject to the provisions of these rules, appropriate measures on the basis of physical, chemical and biological properties of harmful substances shall be taken for washing of leakages overboard:

Provided that such measures so taken shall not impair either the safety of the ship or the safety of persons on board.

10. Port State Control on operational requirements.—(1) During inspection of a foreign ship in Indian port under Section 356G, the surveyor, or as the case may be, any other person authorised thereunder, has clear grounds to believe that the master or crew of that ship are not familiar with operational requirements and procedures relating to the prevention of pollution by harmful substances, the Director-General or any officer authorised by him, shall, on the recommendation of the surveyor or the authorised person, take such steps as are provided under Section 356H.

(2) Nothing in these rules shall be construed as to limit the rights and obligations of the Central Government carrying out control over operational requirements specifically provided for in the Convention.

11. Penalty.—Whoever contravenes any of the provisions of these rules shall be punished with fine in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of Section 458.

SCHEDULE

[See clause (d) of rule 2]

Criteria for the identification of harmful substances in packaged form

For the purposes of these rules, substances identified by anyone of the following criteria are harmful substances:

—bioaccumulated to a significant extent and known to produce a hazard to aquatic life or to human health (Hazard Rating "+" in column A in the Composite List of Hazard Profile prepared by the Organisation)

—bioaccumulated with attendant risk to aquatic organisms or to human health with a short retention of the order of one week or less (Hazard Rating "z" in column A in the Composite List of Hazard Profile prepared by the Organisation)

—highly toxic to aquatic life, defined by a LC_{50}/96 hour less than 1 parts per million, which means the concentration of a substance which shall, within the specified time of 96 hours, kills 50% of the exposed group of test organisms (Hazard Rating "4" in column B in the Composite List of Hazard Profile prepared by the Organisation).

[No. SR-11012/3/08-MG]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications. Delhi-110054